10,500 से ज्यादा दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास के मामले राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने आए हैं पिछले पांच वर्षों में। यह जानकारी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 19 जुलाई 2019

मुगालते में पाकिस्तान, आइसीजे के फैसले में दिख रही जीत

खरी खरी ▶ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री के बयान पर भारत ने कसा तंज, कहा, किसी और फैसले पर जश्न मना रहा पाक

अदालत के फैसले को अपनी जीत के रूप में दुनिया के सामने पेश कर रहे नेता व मीडिया

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

अद्भुत है पाकिस्तान, वहां की सरकार और वहां का मीडिया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की खंडपीठ के 16 न्यायाधीशों में से 15 ने भारत के रुख का समर्थन किया और कुलभूषण जाधव को दी गई सजा पर रोक लगाने के साथ ही उस पर पुनर्विचार का आदेश दिया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने वियना समझौते की अनदेखी के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई। जाधव को भारतीय राजनयिक की पहुंच की व्यवस्था की। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके विदेश मंत्री और वहां का मीडिया इसे एक जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बारे में इमरान खान सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त मुहिम छेड़ दी गई है। दूसरी तरफ, भारत ने पाकिस्तान में जीत के इस जश्न पर तंज कसते हुए कहा, 'ऐसा लगता है कि वहां की सरकार किसी दूसरे फैसले को पढ़ रही है।'

आइसीजे ने गुरुवार को कुलभूषण जाधव पर दिए गए फैसले पर सात पन्नों का प्रेस रिलीज जारी किया गया है जो खुद ही पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। इसमें उन तथ्यों का कोई जिक्र ही नहीं है जिस पर पाकिस्तान फैसले को अपनी जीत करार दे रहा है। पाकिस्तान का कहना है, चूंकि आइसीजे ने जाधव को रिहा नहीं करने या उसे भारत को सौंपने के बारे में कुछ नहीं कहा है इसलिए उसकी जीत हुई है। जबकि इस प्रेस रिलीज से साफ है कि यह पूरा मामला जाधव की रिहाई से संबंधित नहीं था। बल्कि जिस तरह से पाकिस्तान में वियना समझौते की अनदेखी करते हुए जाधव के कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया, उससे ज्यादा संबंधित है।

भारत ने निश्चित तौर पर कानूनी कार्यवाही के दौरान जाधव की रिहाई की मांग उठाई थी जिसे अमान्य करार दिया गया है। लेकिन यह मूल फैसले का हिस्सा नहीं है। आइसीजे की खंडपीठ ने जिन आठ मुद्दों पर फैसला सुनाया है वे सभी भारत के पक्ष में हैं।

मसलन, इसमें पहला फैसला है कि आइसीजे को इस मामले में भारत के प्रस्ताव पर सुनवाई करने का अधिकार है। दूसरा, वियना समझौते की धारा 36 के तहत जाधव के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तीसरा, भारत को समय पर जाधव की गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई और उन्हें राजनयिक सुविधा नहीं दी गई। चौथा, पाकिस्तान को बिना किसी देरी के अब जाधव को राजनयिक पहुंच देनी चाहिए। पांचवा, जाधव को उनकी मर्जी का कानूनी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। छठा, जाधव को मिली सजा की प्रभावशाली समीक्षा होनी चाहिए। यही नहीं इसमें भारत ने जब मामले को आइसीजे में ले जाने के फैसला किया था तो पाकिस्तान ने जो तीन मामले उठाए थे उसे भी एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कहना है कि पाकिस्तान सरकार अपनी अंदरूनी वजहों से ऐसा कर रही है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जाल बिछाकर ईरान में व्यापार करने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को धोखे से अगवा किया। इसके बाद उसे पाकिस्तान ले गए और उसे काफी दिनों के बाद देश में जासूसी करने का आरोप लगाते हुए दुनिया के सामने पेश किया। विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाधव को जेल में डाल दिया, जहां उन्हें हैवानियत की हद तक प्रताड़ित किया गया। बाद में सैन्य अदालत ने एकतरफा सुनवाई करते हुए फांसी की सजा भी सुना दी थी। भारत के बढ़ते दवाब के बीच जाधव को उनकी मां और पत्नी से मिलने की अनुमति दी, लेकिन उसके तौर तरीकों पर सवाल उठे।

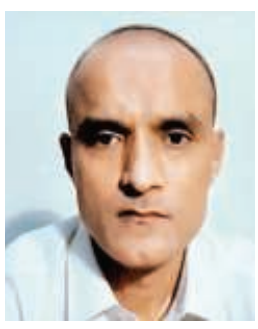
कुलभूषण जाधव की फाइल फोटो।

हेग में बुधवार को इसी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। प्रेट्र

पाक के लिए अपनी न्यायिक प्रणाली को सुधारने का सुअवसर : जेटली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ फेसबुक पर ब्लॉग में पूर्व वित्त मंत्री ने आइसीजे के फैसले को बताया भारत की 'संपूर्ण जीत'

पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के फैसले को भारत की 'संपूर्ण जीत' बताते हुए इसे पाकिस्तान के लिए अपनी न्यायिक प्रणाली को पारदर्शी और सुचारू बनाने का बड़ा अवसर करार दिया है।

फेसबुक पर लिखे ब्लॉग में जेटली ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान किस दिशा में जाता है। उन्होंने कहा कि आइसीजे के फैसले से बेगुनाहों को सजा देने वाली पाकिस्तान की दिखावटी न्यायिक प्रक्रिया का चेहरा बेनकाब हो गया है।

यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक सुअवसर लेकर आया है कि वह अपनी इस दिखावटी न्यायिक प्रणाली को बदलकर कानून का शासन लागू करे। अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को जीत बताने वाली पाकिस्तान की कोशिशों पर तंज कसते हुए जेटली ने कहा कि असल में फैसले ने पाकिस्तान के ऊपर जाधव को फांसी की सजा देने के सैन्य अदालत के फैसले पर पुनर्विचार करने की जिम्मेदारी डाल दी है। यह पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कि वह यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है या नहीं। दुनिया की नजरों में पाकिस्तान को अब अपनी स्थिति साफ करनी होगी।

अरुण जेटली फाइल फोटो

हाफिज सईद पर पाक कर रहा ड्रामा : विदेश मंत्रालय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित अंतरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन भारत उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है। भारत ने इसे पाकिस्तान का दिखावा और ड्रामा करार दिया है। हाफिज को इसके पहले भी पाकिस्तान सरकार आठ बार गिरफ्तार कर चुकी है और हर बार कुछ दिनों बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। ऐसे में भारत को तभी विश्वास होगा जब गिरफ्तार सईद के खिलाफ पाकिस्तान में गंभीरता से कार्रवाई की जाए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कहना है कि सईद संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आतंकवादी घोषित है। संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ जो भी संभव हो कार्रवाई की जाए। सईद और उसके संगठन के खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब यह देखना होगा कि इस बार की गई गिरफ्तारी भी सिर्फ दिखावा है या गंभीरता है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और प्रभावशाली कदम नहीं उठाता, हमें भरोसा नहीं होगा।

ईरानी टैंकर से गिरफ्तार भारतीयों के मामले कानून करेगा काम

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्पेन के तट के समीप रॉयल जिब्राल्टर मरीन द्वारा जब्त किए गए ईरान के तेल सुपरटैंकर से गिरफ्तार भारतीय नागरिकों के मामले में कानून उचित तरीके से काम करेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन कर सीरिया को तेल आपूर्ति के आरोप में चार जुलाई को ईरान के ग्रेस 1 सुपर टैंकर को जब्त किया गया था। रवीश कुमार ने कहा, 'उन सभी को राजनयिक संपर्क मुहैया करा दिया गया है। मेरा मानना है कि कानून की उचित प्रक्रिया जारी रहेगी।

शिष्टाचार भेंट

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाइक ने गुरुवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। एएनआइ

पूर्व कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर भाजपा में शामिल

राज्य ब्यूरो, गांधीनगर

▶ पूर्व विधायक धवलसिंह ने भी थामा पार्टी का दामन

गुजरात के ओबीसी नेता व पूर्व विधायक अल्पेश ठाकोर ने भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की गुजरात यात्रा से एक दिन पहले ठाकोर सेना के अध्यक्ष अल्पेश ठाकोर व पूर्व विधायक धवलसिंह झाला सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय श्रीकमलम पहुंचे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतूभाई वाघाणी ने केसरिया पट्टिका ओढ़ाकर पार्टी में उनका स्वागत किया।

ओबीसी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष तथा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्टतौर पर कहा कि गरीब व आम लोगों की सेवा के लिए सत्ता में होना आवश्यक है। कांग्रेस में रहकर भी उन्होंने गरीब व आम लोगों के हित की बात की, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही दो माह से खाली है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा संवेदनशील हैं। उम्मीद है कि राज्य में संपूर्ण शराबबंदी व नशाबंदी की दिशा में वे उल्लेखनीय कार्य करेंगे।

ज्ञात हो, नशाबंदी आंदोलन के कारण चर्चा में आए अल्पेश ने ओबीसी एकता मंच का गठन करते हुए पाटीदारों के ओबीसी में शामिल किए जाने का विरोध किया था। वर्ष 2017 में वह कांग्रेस में शामिल हुए और राधनपुर सीट से विधायक चुने गए। पार्टी से मनमुटाव होने पर उन्होंने हालिया राज्यसभा उपचुनाव के बाद साथी विधायक धवलसिंह के साथ कांग्रेस व विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अल्पेश का राधनपुर से तथा धवलसिंह का बायड से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है।

अल्पेश ठाकोर एवं पूर्व विधायक धवल सिंह झाला ने गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए।

टॉलीवुड के कई कलाकारों ने थामा भाजपा का झंडा

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल में विभिन्न दलों एवं वर्गों के लोगों का भाजपा में शामिल होना बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को टॉलीवुड के कई कलाकारों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने दिल्ली में बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष, पार्टी के नेता संबित पात्रा एवं मुकुल राय की उपस्थिति में पार्टी का झंडा थामा।

जिन कलाकारों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उनमें ऋषि कौशिक, पर्ण मित्रा, रूपांजना मित्रा, विश्वजीत गांगुली, देवरंजन नाग, अरिंदम हल्दर, मौमिता गुप्ता, अनिंद्य बनर्जी, सौरभ चक्रवर्ती, रूपा भट्टाचार्य, अंजना बसु व कौशिक चक्रवर्ती शामिल हैं। बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने उक्त कलाकारों का पार्टी में स्वागत किया। घोष ने कहा कि पहले भी बंगाल के कई फिल्म कलाकार भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन वहां के फिल्म माफियाओं ने उनके कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया। घोष ने आरोप लगाया कि बंगाल के फिल्म माफियाओं ने मनोरंजन जगत पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में इन कलाकारों का भाजपा में शामिल होना बड़ी बात है। घोष ने और भी लोगों के भाजपा में शामिल होने की उम्मीद जताई।

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में टॉलीवुड अभिनेत्री दाएं से कंचन मोइत्रा, रूपा भट्टाचार्य, रुपंजना मित्रा, मौमिता गुप्ता और प्रनो मित्रा ने पार्टी की सदस्यता ली। प्रेट्र

रॉबर्ट वाड्रा ने हाई कोर्ट से वापस लिया आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कठोर कार्रवाई करने से रोकने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल आवेदन को उद्यमी रॉबर्ट वाड्रा ने वापस ले लिया।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ के समक्ष रॉबर्ट वाड्रा ने कहा,उन्हें निचली अदालत से पहले ही अग्रिम जमानत मिल गई है, ऐसे में इस आवेदन को वह वापस लेना चाहते हैं। वाड्रा ने यह आवेदन एक लंबित याचिका पर दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि मनी लांड्रिंग कानून 2002 के कई प्रावधान असंवैधानिक घोषित हो चुके हैं और एक ही मामले में अधिकार का गलत इस्तेमाल कर कई जांच करने के बाद एफआइआर दर्ज की गई है। इसलिए ईडी द्वारा दर्ज की गई एफआइआर को खारिज किया जाए। ईडी की तरफ से स्टैंडिंग काउंसल अमित महाजन ने पीठ को बताया कि वाड्रा की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया गया है। इस पर पीठ ने वाड्रा को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई को 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। वाड्रा के अलावा उनके करीबी मनोज अरोड़ा ने भी एफआइआर रद करने की मांग की है।

चौटाला परिवार के रिश्तों पर भारी राजनीतिक दुश्मनी की खटास

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

▶ कभी भतीजे दुष्यंत चौटाला की शादी में चाचा अभय ने जमकर डाला था भंगड़ा

▶ लोकसभा नतीजों के बाद अभय ने खुद आगे बढ़कर की थी सुलह की कोशिश

करीब दो साल पहले जब भतीजे दुष्यंत चौटाला की शादी हुई थी, तब चाचा अभय सिंह चौटाला इस महफिल की खास रौनक थे। मारे खुशी के भतीजे दुष्यंत ने चाचा अभय को कंधों पर उठा लिया था। पिता अजय सिंह चौटाला और मां नैना चाचा-भतीजे के प्यार को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। काली शेरवानी पहने दादा ओमप्रकाश चौटाला की आंखों में भी चश्मे के पीछे अलग ही चमक दिखाई दे रही थी।

गुरुवार का दिन इस पारिवारिक माहौल से पूरी तरह अलग था। इस बार जश्न का माहौल अभय सिंह चौटाला के घर में बना। मौका था, अभय के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला की सगाई का। राजनीतिक गलियारों में ओमप्रकाश चौटाला के पगड़ी बदल भाई पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल सगाई की इस रस्म के मुख्य गवाह बने। अर्जुन की सगाई में अगर कोई नजर नहीं आया तो ताऊ अजय, ताई नैना और भाई दुष्यंत व दिग्विजय चौटाला। ताऊ देवीलाल के परिवार में राजनीतिक दुश्मनी की यह इंतेहा थी। दोनों भाइयों अजय सिंह और अभय सिंह के बीच राजनीतिक खटास का असर उनके पारिवारिक रिश्तों में साफ नजर आया। आज हालात यह हैं कि दोनों परिवारों ने एक दूसरे की खुशियों से किनारा कर लिया।

दरअसल, ताऊ देवीलाल के इस परिवार में कलह की नींव गोहाना में राज्य स्तरीय जयंती समारोह के दौरान ही पड़ गई थी। दादा ओमप्रकाश चौटाला ने अनुशासनहीनता के आरोप में पहले दुष्यंत और फिर अजय को पार्टी से निकाला। इसके बाद अजय व दुष्यंत ने अलग जननायक जनता पार्टी बना ली। इनेलो विधायक दल के नेता अभय सिंह ने पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने कांग्रेस, इनेलो और जननायक जनता पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त दी तो कार्यकर्ताओं को लगा कि अब देवीलाल और चौटाला परिवार की राजनीतिक एकजुटता बेहद जरूरी हो गई है।

चौटाला परिवार के करीबियों का कहना है कि अभय ने इस एकजुटता के लिए शिद्दत से प्रयास भी किए। चाचा रणजीत सिंह को मध्यस्थ बनाया। खुद अभय अजय से मिलने जेल गए। पार्टी के मजबूत सारथी अशोक अरोड़ा और रामपाल माजरा ने भी परिवार की एकजुटता की तमाम कोशिशें कीं, मगर बात नहीं बनी। देवीलाल परिवार के सबसे बड़े मुखिया ओमप्रकाश, उनके अभिन्न मित्र प्रकाश सिंह बादल और अभय के चाचा रणजीत सिंह के जरिये कोशिश की जा रही कि किसी तरह विस चुनाव से पहले दिलों की दूरियां खत्म करने के साथ-साथ दलों की दूरियां भी खत्म की जाएं।

आदिवासियों को गुड़ खिलाने पर 50 खर्च करेगी छग सरकार

रायपुर, नईदुनिया : छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का एलान कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार राज्य में नशाबंदी अभियान चलाएगी। इसके लिए अनुपूरक बजट में 68 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को सदन में बतौर वित्त मंत्री 4341 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इससे राज्य के चालू वित्तीय वर्ष के बजट का आकार 90 हजार 909 करोड़ से बढ़कर 95 हजार 250 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अनुपूरक बजट में आदिवासी क्षेत्रों में गुड़ वितरण के लिए 50 लाख, किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने के लिए 768 करोड़ और धान बोनस के लिए 943 करोड़ रुपये रखा है।

सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की संचार क्रांति योजना के लिए अनुपूरक बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने इस योजना के तहत मुफ्त स्मार्ट फोन बांटने के साथ ही मोबाइल नेटवर्क विस्तार की योजना बनाई थी। कांग्रेस सरकार ने मोबाइल वितरण पर तो रोक लगा दी है है, लेकिन जिन क्षेत्रों में मोबाइल बंट चुका है वहां नेटवर्क दुरुस्त करने का फैसला किया है।

बिना व्हिप अधिकार कैसे हो बहुमत परीक्षण : सुरजेवाला

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को सवाल किया कि कर्नाटक में बहुमत परीक्षण कैसे कराया जा सकता है जबकि राजनीतिक पार्टी के व्हिप जारी करने के अधिकार को अदालत के आदेश से निष्प्रभावी कर दिया गया है।

सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के आदेश से जितने जवाब नहीं मिले हैं उससे ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा फैसले को लागू करने को लेकर भी कई चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति विभाजन का सिद्धांत न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को न सिर्फ अलग करता है, बल्कि एक दूसरे के कामकाज में हस्तक्षेप को भी प्रतिबंधित करता है।

सुरजेवाला ने कहा, 'तथ्य यह है कि शक्ति विभाजन बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यह सरकार की एक शाखा को दूसरी शाखा पर हावी होने से रोकता है। क्या न्यायपालिका अपने नियम शर्तें थोप सकती है कि बहुमत परीक्षण कैसे कराया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप विधायिका की कार्यवाही को संचालित कर सकती है।'

राज्यपाल ने स्पीकर से कहा था पहले ही दिन कराएं वोटिंग

सदन में दिनभर चले हंगामे व ड्रामे के बाद गुरुवार रात को बेंगलुरु में विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बीएस येद्दयुरप्पा और पार्टी के अन्य विधायक। प्रेट्र

▶ पहले पेज का शेष

सत्तारूढ़ कांग्रेस-जदएस गठबंधन सरकार के इरादे भांपकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल वजुभाईवाला से मुलाकात कर मांग की थी कि वह स्पीकर रमेश कुमार को गुरुवार को ही वोटिंग कराने का निर्देश दें। स्पीकर ने बताया कि उन्हें राज्यपाल ने मतदान गुरुवार को ही कराने की सलाह दी है। हालांकि देर शाम तक बहस चलने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दिन में भाजपा नेताओं ने आशंका प्रकट की थी कि कुमारस्वामी सरकार अंतिम समय की जोड़तोड़ जारी रखने के लिए बहस को लंबा खींच सकती है। यही बात उन्होंने राज्यपाल से भी कही थी।

कटुआकांड

न्यायाधीश की टिप्पणी, ऐसे मामले को लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकता

सभी अर्जियां को एक साथ सुनेगा हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में पीड़िता के पिता की याचिका पर जस्टिस राजीव शर्मा पर आधारित खंडपीठ ने कहा कि अदालत न्याय करने के लिए है और ऐसे मामले को लंबे समय लटकाया नहीं जा सकता। पीठ ने पीड़िता के पिता की याचिका और पठानकोट अदालत के फैसले के खिलाफ अभियुक्तों की अपीलों पर एक साथ सुनवाई करने के निर्देश दिए।

पीड़िता के पिता ने याचिका दायर कर पठानकोट अदालत की तरफ से दोषी ठहराए गए छह अभियुक्तों की सजा बढ़वाने की मांग थी। जस्टिस राजीव शर्मा ने टिप्पणी तब की जब जम्मू और कश्मीर सरकार की पैरवी करने आए सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने थोड़ी लंबी तारीख दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार इन दिनों इस मामले में एक अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने सुनवाई को कम से कम चार सप्ताह के लिए टाले जाने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले का रिकॉर्ड काफी बड़ा है, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 114 गवाहों की गवाहियां दर्ज की थीं। मुख्य अभियुक्त सांझी राम के वकील जेएस बेदी ने भी चीमा की इस मांग का समर्थन किया। चीमा की सुनवाई को 15 अगस्त के बाद तक के लिए स्थगित किए जाने की मांग को अस्वीकार करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि ऐसा कौन सा मामला होता है, जिसका रिकॉर्ड बड़ा न हो। अगर अन्य पक्षों के वकील अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्हें ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं मंगवाना चाहिए था। उन्होंने सुनवाई को 7 अगस्त तक स्थगित करते हुए कहा कि अदालत इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी।

कोर्ट का प्रतीकात्मक फोटो

दोषी पुलिस अधिकारियों के वकील ने की सजा निलंबित करने की मांग

सुनवाई के दौरान दोषी ठहराए गए तीन पुलिस अधिकारियों के वकील ने उनकी सजा निलंबित किए जाने की मांग की। पीड़िता के पिता के वकील उत्सव बैंस ने कहा कि यह सिर्फ साक्ष्यों से छेड़छाड़ का केस नहीं किसी को हत्या के लिए उकसाने का मामला है।

पिता ने कहा, मिले फांसी की सजा

छह अभियुक्तों को सुनाई गई सजा को नाकाफी बताते हुए मृतका के पिता ने याचिका में कहा है कि यह मामला 'रेअरेस्ट ऑफ दि रेअर' की श्रेणी में आता है और अभियुक्तों को सजा देने में ट्रायल कोर्ट ने नरमी बरती है। उन्होंने पठानकोट अदालत द्वारा बरी किए गए सातवें आरोपी विशाल जंगोत्रा की रिहाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है।

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज ने राहुल को कहा रणछोड़ दास गांधी

नईदुनिया, रायपुर : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी को रणछोड़ दास गांधी बताया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सदस्यता अभियान की समीक्षा करने पहुंचे चौहान ने कहा कि जब कप्तान ही नाव छोड़ भागे तो विधायक क्यों नहीं भागेंगे।

भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में शिवराज ने कहा कि जब कोई जहाज डूबता है तो कैप्टन अंतिम समय तक जहाज में रुक कर सबको बचाता है, लेकिन जब कांग्रेस की नैया डूबी तो सबसे पहले अध्यक्ष ही भागे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के बयान पर शिवराज सिंहने पलटवार करते हुए कहा कि जब कैप्टन ही नाव छोड़कर भाग गए तो विधायक क्यों नहीं भागेंगे। कर्नाटक के सियासी संकट पर उन्होंने कहा कि वहां जब से जनता दल (सेकुलर) और कांग्रेस सरकार बनी है, उसी दिन से सिद्धारमैया डंडे लेकर कुमारस्वामी के पीछे पड़े हैं। सिद्धारमैया ही सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं।